भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 786

उत्तर देने की तारीख : 24.07.2025

सार्वजनिक खरीद नीति

786. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई से वस्तुओं की खरीद हेतु नीतिगत दिशानिर्देश क्या हैं;

(ख) विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से की गई ऐसी खरीद का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश मे वर्तमान में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या कितनी है और छत्तीसगढ़ राज्य सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उद्यमों की सूची क्या है;

(घ) क्या इस नीति के अंतर्गत खरीद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कोई दिशानिर्देश या अनुदेश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस नीति के संबंध में एमएसएमई के अंतर्गत पंजीकृत उद्यमों में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन से कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 23 मार्च, 2012 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.आ. 581(अ), के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, आदेश, 2012 को अधिसूचित किया है। यह नीति (वर्ष 2018 में संशोधित) केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा एमएसई से 25% वार्षिक खरीद अनिवार्य करती है, जिसमें अ.जा./अ.ज.जा. के स्वामित्व वाले एमएसई से 4% और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 3% शामिल हैं। इस नीति के अनुसार, एमएसई को निविदा सेट निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे और उन्हें बयाना राशि जमा करने से छूट दी जाती है। नीति के अनुसार, कुल 358 वस्तुएँ खरीद हेतु आरक्षित हैं और उन्हें केवल एमएसई से ही प्राप्त किया जाना है।

(ख) : एमएसएमई संबंध पोर्टल के अनुसार सीपीएसई द्वारा पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान एमएसई से की गई खरीद का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(ग) : देश में उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) पर वर्तमान में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या 6,58,33,368 है (दिनांक 15.07.2025 तक)। एमएसएमई का छत्तीसगढ़ राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-II पर संलग्न है।

(घ) : एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और सीपीएसयू पर लागू है। यह नीति राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों/पीएसयू पर लागू नहीं है। देश भर में एमएसई के हितों को बढ़ावा देने हेतु मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को पत्र भेजे गए हैं जिनमें संबंधित राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में इस नीति के कार्यान्वयन हेतु सहयोग का अनुरोध किया गया है। 26 राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्र ने अपनी नीतियों को मंत्रालयों की नीति के अनुरूप बना लिया है।

(ड.) : सरकार ने उद्यमों में जागरूकता पैदा करने के लिए कई उपाय किए हैं। यूआरपी के माध्यम से, कोई भी एमएसएमई जेम प्लेटफॉर्म से जुड सकता है और सरकारी खरीद में भाग ले सकता है।

एमएसएमई मंत्रालय की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों की क्षमता वृद्धि करना है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना और सार्वजनिक खरीद नीति के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमों से खरीद के 4% अनिवार्य लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करना है। इसके विभिन्न घटकों में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और जागरूकता शामिल हैं।

एमएसएमई मंत्रालय की खरीद एवं विपणन सहायता योजना के अंतर्गत, उद्यमों में जागरूकता पैदा करने के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा भी नियमित विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 786, जिसका उत्तर दिनांक 24.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

पिछले 5 वर्षों में सीपीएसई द्वारा एमएसई से वर्ष-वार वार्षिक खरीद

वित्त वर्ष	कुल खरीद (करोड़ रुपए में)	एमएसई से खरीद (करोड़ रुपए में)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से खरीद (करोड़ रुपए में)	महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से खरीद (करोड़ रुपये में)
2020-21 (161 सीपीएसई)	1,39,419.81	40,717.67 (29.21%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-1,77,594)	768.53 (0.55%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-6,870)	749.20 (0.54%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-5,140)
2021-22 (162 सीपीएसई)	1,65,383.04	53,778.58 (32.52%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-2,27,049)	1,302.50 (0.79%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-10,437)	1,713.27 (1.04%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-11,383)
2022-23 (166 सीपीएसई 2 विभाग)	1,74,316.32	64,721.65 (37.13%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-2,36,433)	1,546.91 (0.89%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-10,354)	2,318.99 (1.33%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-16,725)
2023-24 (153 सीपीएसई और 1 विभाग	1,70,985.96	74,727.12 (43.70%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-2,58,449	1,761.78 (1.03%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-11,571	3,154.97 (1.85%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-21,339
2024-25 (149 सीपीएसई **(दिनांक 22.07.2025 तक)**	2,68,653.93	93,911.23 (34.96%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-2,92,733)	3,576.08 (1.33%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-21,404)	5,949.08 (2.21%) (लाभ प्राप्त एमएसई की संख्या-33,703)

स्रोतः एमएसएमई संबंध पोर्टल

अनुबंध-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 786, जिसका उत्तर दिनांक 24.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध- II

दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 15/07/2025 तक उद्यम और यूएपी पर राज्य-वार कुल पंजीकृत उद्यम					
क्र. सं.	**राज्य**	**सूक्ष्म**	**लघु**	**मध्यम**	**कुल**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	19261	157	3	**19421**
2	आंध्र प्रदेश	3360676	16491	942	**3378109**
3	अरुणाचल प्रदेश	39037	344	19	**39400**
4	असम	1183889	6523	519	**1190931**
5	बिहार	3573259	11635	560	3585454
6	चंडीगढ़	68200	1247	124	**69571**
7	छत्तीसगढ़	1135360	8198	701	**1144259**
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	29903	901	132	**30936**
9	दिल्ली	1191761	27734	2689	**1222184**
10	गोवा	112106	1094	79	**113279**
11	गुजरात	3699208	53058	4124	**3756390**
12	हरियाणा	1669870	22580	1729	**1694179**
13	हिमाचल प्रदेश	291899	2507	208	**294614**
14	जम्मू और कश्मीर	736820	3162	203	**740185**
15	झारखंड	1317404	5758	349	**1323511**
16	कर्नाटक	4332188	30775	2238	**4365201**
17	केरल	1576019	12627	744	**1589390**
18	लद्दाख	18480	112	2	**18594**
19	लक्षद्वीप	2208	0	0	**2208**
20	मध्य प्रदेश	4133259	19307	1150	**4153716**
21	महाराष्ट्र	8551716	72793	6694	**8631203**
22	मणिपुर	147987	412	17	**148416**
23	मेघालय	53908	393	34	**54335**
24	मिजोरम	44951	207	6	**45164**
25	नागालैंड	60701	170	16	**60887**
26	ओडिशा	2044179	9787	581	**2054547**
27	पुडुचेरी	94030	654	62	**94746**
28	पंजाब	1822767	16546	1205	**1840518**
29	राजस्थान	3735958	26543	1598	**3764099**
30	सिक्किम	28908	158	13	**29079**
31	**तमिलनाडु**	**5270701**	**38540**	**2735**	**5311976**
32	तेलंगाना	2547334	19604	1749	**2568687**
33	त्रिपुरा	271441	679	45	**272165**
34	**उत्तर प्रदेश**	**7062336**	**39018**	**2475**	**7103829**
35	उत्तराखंड	539209	3945	270	**543424**
36	पश्चिम बंगाल	4553732	23323	1706	**4578761**
	कुल:-	**65320665**	**476982**	**35721**	**65833368**